

सार्वजनिक सूचना

राज्य के उन्मुक्त अभिगमन बिजली उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति करने की अनिवार्यता के कारण यूपीसीएल द्वारा वहन की जाने वाली स्थायी लागत की वसूली के लिये यूपीसीएल द्वारा उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन के निबंधन एवं शर्तों) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अन्तर्गत अप्रैल, 2021 से सितम्बर, 2021 तक की अवधि में अतिरिक्त सरचार्ज निर्धारण के लिये दायर की गयी याचिका पर विचार आंशत्रित किये जाते है

1. यूपीसीएल, उत्तराखण्ड राज्य की एकमात्र विद्युत वितरण एवं खुदरा आपूर्ति अनुज्ञापि कम्पनी ने राज्य के उन्मुक्त अभिगमन बिजली उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की अनिवार्यता के कारण वहन की जाने वाली स्थायी लागत की वसूली के लिये उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन के निबंधन एवं शर्तों) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अन्तर्गत अतिरिक्त सरचार्ज के निर्धारण हेतु एक याचिका उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के समक्ष दायर की है।
2. अप्रैल, 2021 से सितम्बर, 2021 की अवधि में उन्मुक्त अभिगमन बिजली उपभोक्ताओं से चार्ज किये जाने वाले अतिरिक्त सरचार्ज की गणना निम्नानुसार की गयी है:
 - (i) अप्रैल, 2020 से सितम्बर, 2020 की अवधि में उन्मुक्त अभिगमन बिजली उपभोक्ताओं द्वारा उन्मुक्त अभिगमन के माध्यम से कय की गयी ऊर्जा तथा यूपीसीएल की stranded ऊर्जा का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	माह	राज्य परिधि पर यूपीसीएल की Stranded ऊर्जा (मिलियन यूनिट)	बिजली उपभोक्ताओं द्वारा उन्मुक्त अभिगमन के माध्यम से कय की गयी ऊर्जा (मिलियन यूनिट)
1.	अप्रैल, 20	7.26	7.26
2.	मई, 20	16.61	17.79
3.	जून, 20	25.92	26.29
4.	जुलाई, 20	17.40	17.88
5.	अगस्त, 20	16.60	17.55
6.	सितम्बर, 20	14.99	15.55
	कुल	98.78	102.32

- (ii) अप्रैल, 2020 से सितम्बर, 2020 की अवधि में यूपीसीएल द्वारा 4 विद्युत उत्पादन केन्द्रों की समर्पित (surrender) की गयी ऊर्जा का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	केन्द्र के नाम	राज्य परिधि पर प्राप्त ऊर्जा (मिलियन यूनिट)	राज्य परिधि पर यूपीसीएल द्वारा समर्पित ऊर्जा (मिलियन यूनिट)	राज्य परिधि पर कुल ऊर्जा हकदारी (मिलियन यूनिट)	कुल स्थायी लागत (₹ करोड़)	औसत स्थायी लागत (₹/यूनिट)
1	झज्जर अरावली	0.38	44.78	45.16	6.33	1.40
2	दादरी गैस	23.35	131.56	154.91	8.54	0.55
3	एफजी ऊंचाहार-4	85.02	33.56	118.58	17.01	1.43
4	एफजी ऊंचाहार -3	38.63	13.71	52.34	6.05	1.16
	कुल	147.38	223.61	370.99	37.93	1.02

(iii) 01-04-2021 से 30-09-2021 की अवधि में प्रति यूनिट अतिरिक्त सरचार्ज की गणना निम्नानुसार की गयी है:

क्रम संख्या	विवरण	संख्या
अ.	राज्य परिधि पर औसत स्थायी लागत (₹/यूनिट)	1.02
ब.	अनुमोदित पिटकूल हानियां @ 1.40 प्रतिशत तथा वितरण हानियां @ 14.00 प्रतिशत के पश्चात उपभोक्ता परिधि पर औसत स्थायी लागत (₹/यूनिट)	1.20
स.	Stranded ऊर्जा (मिलियन यूनिट)	98.79
द.	उन्मुक्त अभिगमन के माध्यम से कय की गयी ऊर्जा (मिलियन यूनिट)	102.32
य.	प्रस्तावित अतिरिक्त सरचार्ज (ब x स / द) (₹/यूनिट)	1.16

- याचिका पर उपभोक्ताओं एवं अन्य स्टैकहोल्डर्स के सुझाव/मत, यदि कोई हो, आमंत्रित किये जाते हैं। ये सुझाव/मत व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक द्वारा सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, विद्युत नियामक भवन, निकट आई0एस0बी0टी0, पोस्ट आफिस- माजरा, देहरादून -248171 को अथवा ई-मेल (secy.uerc@gov.in) पर दिनांक 21-01-2021 तक भेजे जा सकते हैं।
- विस्तृत पिटीशन किसी भी कार्य दिवस में आयोग अथवा मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य), वीसीवी गबर सिंह ऊर्जा भवन, कांवली रोड़, देहरादून/ मुख्य अभियन्ता (वितरण), गढ़वाल क्षेत्र, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड, 120-हरिद्वार रोड़, देहरादून/ मुख्य अभियन्ता (वितरण), कुमाऊँ क्षेत्र, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड, 132-के0वी0 सबस्टेशन, काठगोदाम, हल्द्वानी / मुख्य अभियन्ता (वितरण), हरिद्वार क्षेत्र, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड, रोशनाबाद, हरिद्वार/ मुख्य अभियन्ता (वितरण), उधमसिंह नगर क्षेत्र, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड, 33 केवी सबस्टेशन, सेक्टर-2, सिडकुल, पंतनगर, रुद्रपुर-263153 पर बिना किसी खर्च के देखी जा सकती है।
- उक्त याचिका आयोग की वेबसाईट (www.uerc.gov.in) एवं यूपीसीएल की वेबसाईट (www.upcl.org) पर भी उपलब्ध है।

(डा० नीरज खैरवाल)
प्रबन्ध निदेशक

PUBLIC NOTICE

Inviting Comments on UPCL's proposal for determination of Additional Surcharge in accordance with the provisions of UERC (Terms and Conditions of intra-State Open Access) Regulations, 2015 to meet the fixed cost of UPCL arising out of its obligation to supply electricity to the Open Access Consumers for the period April 2021 to September 2021

1. Uttarakhand Power Corporation Limited (UPCL), the sole Distribution and Retail Supply Licensee in the State, has filed a Petition before Uttarakhand Electricity Regulatory Commission (UERC or Commission) for determination of Additional Surcharge in accordance with the provisions of UERC (Terms and Conditions of intra-State Open Access) Regulations, 2015 to meet the fixed cost of UPCL arising out of its obligation to supply electricity to the Open Access Consumers.
2. The computation of Additional Surcharge to be levied on Open Access Consumers, for the period April 2021 to September 2021 is given in the Tables below:

(i) The details of stranded energy due to open access and open access drawn by the open access consumers at State Periphery for the period from April 2020 to September 2020 are as follows:

S. No.	Month	Stranded Energy (MU)	Open Access Energy (MU)
1	April,20	7.26	7.26
2	May,20	16.61	17.79
3	June,20	25.92	26.29
4	July,20	17.40	17.88
5	August,20	16.60	17.55
6	September,20	14.99	15.55
Total		98.78	102.32

(ii) The details of power surrendered from 04 plants for the period from April 2020 to September 2020 are as follows:

S. No.	Name of Plant	Energy Received at State Periphery (MU)	Energy Surrendered at State Periphery (MU)	Total Energy Entitled at State Periphery (MU)	Total Fixed Costs Incurred (Rs. Cr)	Average Fixed cost (Rs/ kWh)
1	Jhajjar Aravali	0.38	44.78	45.16	6.33	1.40
2	Dadri Gas	23.35	131.56	154.91	8.54	0.55
3	FG Unchahar-4	85.02	33.56	118.58	17.01	1.43
4	FG Unchahar-3	38.63	13.71	52.34	6.05	1.16
Total		147.38	223.61	370.99	37.93	1.02

- (iii) The computation of per unit additional surcharge to be levied for the period from 01-04-2021 to 30-09-2021 has been done as follows:

S. No.	Particulars	Value
a	Average fixed cost at State periphery (Rs. / unit)	1.02
b	Average fixed cost at consumer end after considering approved PTCUL losses @ 1.40% and distribution losses 14.00% @ (Rs. / unit)	1.20
c	Stranded energy (MU)	98.79
d	Open access energy (MU)	102.32
e	Proposed additional surcharge (b x c / d) (Rs. / unit)	1.16

3. Responses/suggestions, if any, are sought from consumers and other stakeholders on the Petition. Responses may be sent to the Secretary, Uttarakhand Electricity Regulatory Commission, either in person, or by post at 'Vidyut Niyamak Bhawan', Near ISBT, PO-Majra, Dehradun-248171 or through e-mail to secy.uerc@gov.in by 21.01.2021.
4. Detailed Petition can be seen free of cost on any working day at the Commission's office or at the offices of Chief Engineer (Commercial) at Victoria Cross Vijeta Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road, Dehradun/Chief Engineer (Distribution), Garhwal Zone, UPCL, 120-Haridwar Road, Dehradun/Chief Engineer (Distribution), Kumaon Zone, UPCL, 132-KV Substation, Kathgodam, Haldwani/ Chief Engineer (Distribution), Haridwar Zone, UPCL, Roshnabad, Haridwar / Chief Engineer (Distribution), Udham Singh Nagar Zone, UPCL, 33KV Sub-Station, Sector-2, SIDCUL, Pantnagar, Rudrapur-263153.
5. The Petition is also available at the website of the Commission (www.uerc.gov.in) and at the Petitioner's website (www.upcl.org).

(Dr. Neeraj Kharwal)
Managing Director